

अध्याय 2: वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

कार्य-आवंटन नियमावली के अनुसार, महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) संघ या राज्य सरकारों से सम्बंधित सरकारी लेखांकन तथा लेखे के रूप, नियमों या नियमावलियों का निर्माण करने या संशोधन करने तथा केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखांकन के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने का पर्यवेक्षण करने के सामान्य सिद्धांतों के लिए भी उत्तरदायी है। म.ले.नि. संघ सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न लेखांकन प्राधिकारी से प्राप्त सामग्री (केन्द्रीय लेन-देन की विवरणी, जर्नल प्रविष्टियां, पूर्वावधि समायोजनों, प्रोफार्मा समायोजनों) पर आधारित वित्त लेखे तैयार करता है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा वि नि) में अनुबद्ध है कि सरकार का सचिव संबंधित मंत्रालय/विभाग का मुख्य लेखांकन प्राधिकारी (मु.ले.प्रा.) है। वह अपने कार्यों को संबंधित मंत्रालय/विभाग¹ के वित्तीय सलाहकार (वि.स.) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.)² की सहायता से संपादित करता है।

अनुवर्ती पैराग्राफों में ऐसे मामलों, जिनमें उपर्युक्त प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के वित्त लेखाओं में पारदर्शिता, प्रस्तुतीकरण, प्रकटीकरण, परिशुद्धता, वर्गीकरण, संपूर्णता तथा अन्य विसंगतियां में कमियों को उजागर किया गया है। इस तरह की टिप्पणियां भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पिछले प्रतिवेदनों में नियमित रूप से दर्शाई गई है, लेकिन प्राथमिक रूप से उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई प्रभावशाली कार्रवाई करने में विफलता के कारण निरन्तर बनी हुई है।

¹ रक्षा लेखे-वित्तीय सलाहकार, रक्षा सेवाएं; डाक सेवा लेखे-संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार-डाक विभाग; तथा रेलवे लेखा-वित्तीय आयुक्त, रेलवे बोर्ड।

² इसमें प्रधान मुख्य नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक तथा लेखा नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, शामिल हैं।

2.2 लेखे में अपारदर्शिता

‘अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय’ से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में, जब उपयुक्त लघु शीर्ष लेखे में नहीं दिया गया हो, खोला जाना होता है। यदि इस प्रकार की प्राप्ति या व्यय की पुनरावृत्ति होती है तो उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने की जिम्मेदारी लेखा प्राधिकारियों की होती है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय को अविवेक पूर्ण तरीके से दर्ज किए जाने के परिणामस्वरूप लेखे में अपारदर्शिता हुई।

- (क) उपर्युक्त पैराग्राफ 2.1 में उल्लिखित प्राधिकारियों की विफलता के कारण 2017-18 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 20,855 करोड़ व्यय के रूप में दर्ज किए गए थे। भा.स. के छः मंत्रालयों/विभागों³ ने लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत, 10 विशिष्ट मुख्य शीर्षों के प्रति व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक दर्शाते हुए ₹ 6,475 करोड़ दर्ज किए।
- (ख) इसी प्रकार, भा.स. के 14 मंत्रालयों/विभागों⁴ ने लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 6,228 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की जिसमें से ₹ 5,326 करोड़ की (26 मुख्य शीर्ष) प्राप्ति लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्ति, 50 प्रतिशत से अधिक, वर्गीकृत की गई।

इन मंत्रालयों/विभागों के लेखांकन प्राधिकारी इस तथ्य के बावजूद कि इन मंत्रालयों/विभागों के संबंध में इसी तरह की टिप्पणियां सीएजी की पिछली प्रतिवेदनों में की गई थी, सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहे।

³ रक्षा मंत्रालय (₹ 1,705 करोड़ में से ₹ 1,037 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹ 3,869 करोड़ में से ₹ 3,866 करोड़), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (₹ 1,936 करोड़ में से ₹ 1,350 करोड़), खान मंत्रालय (₹ 85 करोड़ का 100 प्रतिशत), वाणिज्य मंत्रालय (₹ 81 करोड़ का 100 प्रतिशत), ग्रामीण विकास मंत्रालय (₹ 99 करोड़ में से ₹ 56 करोड़)।

⁴ प्रमुख मंत्रालय रक्षा मंत्रालय (₹ 1,935 करोड़ में से ₹ 1,376 करोड़), कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (₹ 1,470 करोड़ में से ₹ 1,422 करोड़), खान मंत्रालय (₹ 1,217 करोड़ में से ₹ 1,205 करोड़), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (₹ 292 करोड़ में से ₹ 272 करोड़), शहरी विकास मंत्रालय (₹ 738 करोड़ में से ₹ 573 करोड़) आदि हैं।

2.3 उपकर संग्रहण तथा उपयोग में कमियां

उपकर, एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियां एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा उद्ग्रहित एक अतिरिक्त कर है। भा.स. ने 2017-18 में 42 उपकर के अंतर्गत ₹ 2,14,050 करोड़ संग्रहित किए। मुख्य उपकर, जो 01 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे वे कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर तथा चाय, चीनी तथा जूट आदि पर उपकर हैं। तथापि, छः⁵ उपकर का उद्ग्रहण किया जाना जारी है।

क. अनुसंधान एवं विकास (अ. एवं वि.) उपकर के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग होना

अ. एवं वि. उपकर अधिनियम, 1986 में प्रौद्योगिकी के आयात पर किए गए सभी भुगतानों पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है। 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) के गठन के पश्चात, संग्रहित धनराशि को प्रौ.वि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में संवितरित की जानी होती है।

अ. एवं वि. उपकर के अंतर्गत 1996-97 से 2017-18 तक ₹ 8,077 करोड़ संग्रहित किए गए थे। इसमें से, केवल ₹ 779 करोड़ (9.64 प्रतिशत) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) को संवितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उपकर अप्रैल 2017 से समाप्त कर दिया था, 2017-18 तथा 2018-19 (सितम्बर 2018) के दौरान क्रमशः ₹ 191.41 करोड़ तथा ₹ 1.14 करोड़ राशि के उपकर अनियमित रूप से संग्रहित किए गए थे।

ख. उपकर का कम अंतरण

लेखापरीक्षा ने भारत की समेकित निधि (स नि) में संग्रहित उपकर का लोक लेखे में समर्पित अव्यपगत निधि में कम अंतरण पाया जैसा की तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

⁵ प्राथमिक शिक्षा उपकर, माध्यमिक शिक्षा उपकर, आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, सड़क उपकर, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों तथा कच्चे पेट्रोलियम तेल पर एनसीसीडी।

तालिका 2.1: उपकर का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

उपकर का नाम	निधि का नाम	संग्रहण आरंभ करने का वर्ष	मार्च 2018 तक कम अंतरण	मंत्रालय/विभाग
स्वच्छ भारत उपकर	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके)	2015-16	4,891 (2015-16 से)	पेयजल मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय
प्राथमिक शिक्षा उपकर	प्रारंभिक शिक्षा कोष	2004-05	1,977 (2017-18)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
सड़क उपकर	केन्द्रीय सड़क निधि	1998-99	72,726 (2010-11)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	2010-11	44,505 (2010-11)	नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

सड़क उपकर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में निधियों के कम अंतरण पर टिप्पणियां 2010-11 से निरन्तर इंगित की गई हैं। तथापि, लेखांकन प्राधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

ग. माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी)

यह उपकर 2006-07 में उदग्रहित किया गया था तथा अभी तक ₹ 94,036 करोड़ संग्रहित किए गए हैं। यद्यपि इस उद्देश्य हेतु अगस्त 2017 में एक निधि (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष) का सृजन किया गया था और इसको अभी तक प्रचालित नहीं किया गया है, तथापि प्रक्रिया का उल्लंघन करके उपकर को सीएफआई में रखा जा रहा है।

इस मामले को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में नियमित रूप से सूचित किया गया है।

2.4 प्रत्याभूति शुल्क की कम प्राप्ति

संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, भा.स. ऐसी सीमाओं, यदि कोई हो, जैसा संसद द्वारा विधि द्वारा, नियत किया जाए, के भीतर प्रत्याभूति दे सकती है।

जीएफआर में अनुबद्ध है कि प्रत्याभूति शुल्क की दरें वह होंगी जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मंत्रालयों/विभागों के लेखांकन प्राधिकारी 2017-18 के दौरान ₹ 1,144 करोड़ प्रत्याभूति शुल्कों को वसूल करने में विफल रहें जैसा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: प्रत्याभूति शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क	प्रत्याभूति शुल्क की कम प्राप्ति
1.	जल संसाधन	2.59	0	2.59
2.	रसायन एवं पेट्रोरसायन	2.50	0	2.50
3.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) ⁶	78.41	0.24	78.17
4.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय-भेषजी	81.47	0	81.47
5.	नागरिक उड्डयन	1,148.68	168.97	979.71
	कुल	1,313.65	169.21	1,144.44

इस प्रकार की टिप्पणियां तीन मंत्रालयों/विभागों (एमएसएमई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नागरिक उड्डयन तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय-भेषजी) के संबंध में 2016-17 के सीएजी के प्रतिवेदन में प्रदर्शित हुए थे। फिर भी, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.5 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वह शेष है जो गलती से डेबिट के बजाए क्रेडिट तथा विपर्ययण के रूप में दर्ज किए गए हैं। ऋण एवं अग्रिम, ऋण, जमा एवं प्रेषण के अंतर्गत कुल

⁶ एमएसएमई की दो संस्थाएं हैं अर्थात् केवीआईसी तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

₹ 14,812 करोड़ के प्रतिकूल शेषों के 77 मामले हैं। इनमें 21 ऐसे मामले शामिल हैं जो 10 वर्षों से पुराने हैं जैसा तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/संस्था	प्रतिकूल शेषों की संख्या	राशि
1.	रेलवे	6	7,482
2.	डाक	5	55
3.	श्रम एवं रोजगार	1	211
4.	शहरी विकास	4	219
5.	रसायन एवं पेट्रोरसायन	2	1,865
6.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1	2
7.	वन, जलवायु एवं पर्यावरण	2	1
8.	ग्रामीण विकास	2	102
9.	विद्युत	2	227
10.	एमएसएमई	1	1
11.	खनन	1	9
12.	नागरिक उड्डयन	1	38
13.	वित्त	2	1
14.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	1,182
15.	राज्य सरकार	27	106
16.	सीजीडीए रक्षा	1	1,872
17.	अन्य	18	1,439
कुल		77	14,812

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में ₹ 211 करोड़ का प्रतिकूल शेष बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से अधिक आहरण के कारण था। इस मामले को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में नियमित रूप से टिप्पणियां की गई हैं परन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में, प्रतिकूल शेष राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (रा स्व को) से ₹ 159 करोड़ के अधिक आहरण के कारण था। यद्यपि यह टिप्पणी 2016-17 के सीएजी प्रतिवेदन में भी की गई थी फिर भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.6 निष्क्रिय आरक्षित निधि तथा जमा

निष्क्रिय निधियां/जमा वह है जो लम्बी अवधियों से उपयोग में नहीं लाए गए तथा उनकी सार्थकता समाप्त हो गई है। लोक लेखे में ऐसे निष्क्रिय निधियों/जमाओं को बंद करने तथा शेष को भारत की समेकित निधि में वापस अंतरित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर्थिक कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय तथा राज्यों/यूटी सरकार के लेखांकन प्राधिकारियों ने 10 से 30 वर्षों तक निष्क्रिय पड़े ₹ 692 करोड़ कुल शेष के 34 निधियों/जमाओं⁷ को, इस तथ्य के बावजूद भी कि सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में भी इन्हीं मंत्रालयों/विभागों पर इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी, बन्द करने की कार्रवाई करने में विफल रहे।

2.7 वित्त लेखाओं में सरकारी निवेश का गलत दर्शाया जाना

भा.स. के वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं में भा.स. के निवेश के ब्यौरे प्रस्तुत करती है। म.ले.नि. तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मु.ले.नि. विवरणी 11 में अंतर्निहित ब्यौरों की यथार्थता तथा संपूर्णता के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा ने अनुवर्ती पैराग्राफों में विभिन्न कमियां/विसंगतियां पाईं।

(क) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में सरकारी निवेश को दर्शाने में विसंगतियां

वित्त लेखाओं में अंतर्विष्ट सरकारी कम्पनियों/निगमों/बैंकों तथा समितियों आदि पर सूचना का संबंधित संस्थाओं के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के साथ दुतरफा सत्यापन करने से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुईं जिनके विस्तृत ब्यौरे तालिका 2.4 में दिए गए हैं:-

⁷ सात आरक्षित निधियां, 22 जमा और पांच अन्य देयताएं।

तालिका 2.4: सरकारी निवेश में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्था	सरकार द्वारा इक्विटी निवेश	
		2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी 11 के अनुसार	2017-18 के लिए संस्था के वार्षिक लेखे के अनुसार
1.	एन्ड्र्यू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	85.90	87.27
2.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	168.61	80.03
3.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,873.49	2,977.31
4.	पूर्वोत्तर कृषीय विपणन निगम, गुवाहाटी	8.89	7.62
5.	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं टकसाल निगम लिमिटेड	0.05	1064.19
6.	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	569.39	4,648.92
7.	स्लॉटर हाऊस कॉर्पोरेशन	9.25	1.18*
8.	भारत डायनामिक्स लिमि., हैदराबाद (बीडीएल)	97.75	160.83
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसईएल)	123.84	114.55
10.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमि. मुम्बई (एमडीएल)	199.20	224.10
11.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमि. बंगलौर (एचएएल)	361.50	300.86
12.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमि. बंगलौर (बीईएल)	152.30	162.74
13.	गोवा शिपयार्ड लिमि. विशाखापत्तनम (जीएसएल)	14.87	29.73

* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का निवेश रजिस्टर

(ख) निवेश पर अपूर्ण सूचना

17 संस्थाओं के संबंध में, विवरणी 11 में निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, कुल प्रदत्त पूंजी तथा सरकार के निवेश की प्रतिशतता के संबंध में अपूर्ण सूचना अंतर्निहित है।

(ग) प्राप्त लाभांश के दर्शाने में विसंगतियां

विवरणी 11 में अंतर्निहित लाभांश-सूचना की विवरणी संख्या 8 (राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे तथा मुख्य शीर्षों द्वारा पूंजीगत प्राप्तियां) के साथ दुतरफा सत्यापन करने पर विसंगतियां पायी गई, जिसके विस्तृत ब्यौरे तालिका 2.5 में दिए गए हैं।

तालिका 2.5 प्राप्त लाभांश के दर्शाने में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

अभ्युक्ति	विवरणी-8	विवरणी-11	अंतर
सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्राप्त लाभांश	91,367	91,229	138

म.ले.नि. ने बताया (अगस्त 2018) कि अंतर रेलवे मंत्रालय से संबंधित है जो उनके द्वारा उनकी विवरणी सं.11 में नहीं दर्शाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.ले.नि. वित्त लेखे तैयार करता है जिसको म.ले.नि. द्वारा हस्ताक्षरित तथा सचिव, व्यय विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। अतः यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि लेखाओं में कोई विसंगति न हो।

(घ) सरकारी निवेश की प्रतिशतता दर्शाने में विसंगतियां

छः मामलों में, जैसाकि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है 2017-18 के दौरान सरकारी निवेश बढ़ा था लेकिन सरकारी निवेश की प्रतिशतता बढ़ी हुई नहीं दर्शायी गई थी।

तालिका 2.6: सरकारी निवेश की प्रतिशतता दर्शाने में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्यम का नाम	31 मार्च 2017 तक निवेश की गई राशि	31 मार्च 2018 तक निवेश की गई राशि	31 मार्च 2017 व 2018 को निवेश की प्रतिशतता
1.	भारतीय चिकित्सा भेषजी निगम लिमि.	49	51	98
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमि.	983	1,017	56
3.	कोंकण रेलवे निगम लिमि.	411	569	52
4.	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमि.	9,767	9,843	50
5.	एमएचए (नागपुर व पुणे मेट्रो रेल निगम)	225	825	50
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम लिमि.	908	1,078	82

(ड.) वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में निवेश को दर्शाने में असंगतियां

वित्त लेखे की विवरणी 11 का विनियोग लेखे के अनुबंध-सी के साथ दुतरफा सत्यापन करने से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भा.स. द्वारा निवेश के दर्शाने में असंगतियां थीं जिसके विस्तृत ब्यौरे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7:- सरकारी निवेश को दर्शाने में असंगतियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय	कम्पनी	निवेश	
			वित्त लेखे	विनियोग लेखे (अनुबंध सी)
1.	दूरसंचार विभाग	भारतीय दूरभाष उद्योग (आईटीआई)	200	337
2.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त तथा विकास निगम	-	25

2.8 बकाया ऋण एवं अग्रिम की गैर-वसूली

वर्ष 2017-18 के लिए वित्त लेखे की विवरणी सं. 3 तथा 15 में दर्शाया गया कि 31 मार्च 2018 को राज्य/यूटी सरकारों तथा अन्य संस्थाओं के प्रति कुल बकाया ऋण ₹ 2,73,261 करोड़ था जिसमें से ₹ 53,985 करोड़ की राशि बकाया ऋण एवं अग्रिम को प्रदर्शित करती है जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8:- कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को बकाया				
क्र.सं.	ऋणी का नाम	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	राज्य सरकार	366	1,577	1,943
2.	संघ शासित क्षेत्र	1,512	1,239	2,751
3.	अन्य ऋणी संस्थाएं	16,437	32,854	49,291
कुल		18,315	35,670	53,985

बकाया ऋणों का समय-वार विश्लेषण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9- बकाया ऋण एवं अग्रिम के समय-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को बकाया				
क्रम सं.	ऋणी की श्रेणी	राज्यों/यूटी की संख्या	बकाया ऋण की अवधि (वर्षों में)	राशि
1.	राज्यों/यूटी सरकारें	16	> 25	1,990
		11	15-25	2,705
2.	संस्थाएं	82	>25	31,606
		24	15-25	7,273
		48	5-15	9,243
		4	<5	1,168
कुल		185		53,985

स्रोत: विवरणी सं. 15 का भाग 2 तथा 3

भा.स. को उपयुक्त कार्रवाई हेतु बकाया ऋण एवं अग्रिम के शेषों की समीक्षा करनी चाहिए।

2.9 एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का लेखांकन/अंतरण

एकत्रित आईजीएसटी की राशि को आईजीएसटी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के बीच विभाजित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.स. ने आईजीएसटी के अंतर्गत राज्यों/यूटी को ₹ 67,998 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। आईजीएसटी राजस्व का केवल 50 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा है तथा हस्तांतरण केवल केन्द्रीय हिस्से से ही संभव है। इस प्रकार, किया गया हस्तांतरण, जीएसटी/आईजीएसटी की योजना के अनुरूप नहीं है। सीएजी ने सलाह दी है कि भा.स. को लेखे में अपना हिस्सा सही रूप से दर्शाने की आवश्यकता है तथा हस्तांतरण केवल केन्द्रीय हिस्से से ही किया जाना चाहिए। शेष 50 प्रतिशत को विधि के अनुसार राज्यों को विभाजित किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने अपने उत्तर (सितंबर 2018) में बताया कि राजस्व विभाग के बजट के संरूपण के अनुसार आईजीएसटी का अस्थायी रूप से हस्तांतरण, लेखांकन प्रक्रिया की स्वीकृति पर अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा।